# [TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART II, SECTION 3, SUB SECTION (i)]

### **GOVERNMENT OF INDIA**

### MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

#### Notification

New Delhi, 10<sup>th</sup> June, 2016. G.S.R (E)..... –In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 79 of the Limited Liability Partnership Act, 2008 (6 of 2009), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Limited Liability Partnership Rules, 2009 namely:-

- Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Limited Liability Partnership (Second Amendment) Rules, 2016.
  - (2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.
- 2. In the Limited Liability Partnership Rules, 2009,-
  - (a) in Form 2,-
    - (I) in Part A, in serial number 12, in item (i), for sub-item (ii), the following shall be substituted, namely:-
    - "(ii) Name of nominee ",
    - (II) in Part B, under the heading 'Addendum to Form 2', in serial number 6, in item (i), for sub-item (ii), the following shall be substituted, namely:-
    - "(ii) Name of nominee ".
  - (b) In Form 3,-
  - (I) in part A, in serial number 7, in item (ii) for the Table, the following shall be substituted, namely:-

1	2	3	4	5	6	7	8
"Sl	DPIN/	Name	Name of	Designati	Form	Moneta	% of
No.	Income	of	Nominee	on	of	ry	profit
	tax PAN/	Partner	in case of	(Partner/	Contrib	Value	sharing";
	Passport		body	Designate	ution	of	
	number		corporate	d Partner)		Contrib	
						ution	

	l l		

- (II) in part B, for serial number 21-
- (A), in item (a), for the Table, the following Table shall be substituted, namely:-

1	2	3	4	5	6	7	8
"Type of	DPIN/	Name	Name of	Designati	Form	Moneta	% of
change	Income	of	Nominee	on	of	ry	profit
	tax PAN/	Partner	in case of	(Partner/	Contrib	Value	sharing";
	Passport		body	Designat	ution	of	
	number		corporate	ed		Contrib	
				Partner)		ution	
O				O DP			
Deletion				OP			
O							
change				19			
O no							
change							

(B) in item (b), for the Table, the following Table shall be substituted, namely:-

1	2	3	4	5	6	7
"Type of	DPIN/	Name	Name of	Form	Moneta	% of profit
change	Income	of	Nominee	of	ry	sharing";
	tax PAN/	Partner	in case of	Contrib	Value	
	Passport		body	ution	of	
	number		corporate		Contrib	
					ution	
O DP						
OP						

(c) (a) in Form 4,-	
(a) in serial number 7, in item (i),	for sub-item (ii), the following shall
be substituted, namely:-	
"(ii) Name of nominee	<b>"</b> ;
(b) under the heading 'Addendu	m to Form 4', in serial number 6, in
item (i), for sub-item (ii), the follo	owing shall be substituted, namely:-
"(ii) Name of nominee	<b>"</b> .
(d) In Form 11, in serial number 13, in	item (ii), for the table, the following
shall be substituted, namely:-	

1	2	3	4	5	6
"DPIN/ Income tax PAN/ Passport number	Name of Partner/ Designate d Partner	Name of Nominee in case of body corporate	Section number	Offence	Penalty imposed";

[F. No. 17/31/2015-CL-V]

(Amardeep Singh Bhatia)

Joint Secretary to Govt. of India

FootNote- The principal rules were published in the Gazette of India, Part II section 3, sub-section (i) vide GSR No 229(E) dated 1st April, 2009 and subsequently amended by GSR No 385(E) and 386(E) dated 4th June, 2009, GSR No 6(E) dated 6th January, 2010, GSR 24(E) dated 11th January, 2010, GSR 914(E) dated 15th November, 2010, GSR 506(E) dated 5th July, 2011, GSR 680(E) dated 14th September, 2011, GSR 796(E) dated 4th November, 2011, GSR 430(E) dated 5th June, 2012, GSR 485(E) dated 21st June, 2012, GSR 692(E) dated 14th September, 2012 and GSR 333(E) dated 29th April, 2015, GSR 785 (E) dated 15th October, 2015, GSR 418 (E) dated 13th April, 2016.

## [भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

### भारत सरकार

### कारपोरेट कार्य मंत्रालय

# अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जून, 2016

सा.का.नि(अ) केंद्रीय सरकार, सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 (2009 का 6
की धारा 79 की उपधारा (1) और (2) उपधारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सीमित दायित्व
भागीदारी नियम, 2009 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-
<ol> <li>संक्षिप्त नाम और प्रारंभ – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सीमित दायित्व भागीदारी (द्वितीय</li> </ol>
संशोधन) नियम, 2016 है।
(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. सीमित दायित्व भागीदारी नियम, 2009 के –
(क) प्ररूप 2 में —
(I) भाग क में क्रम संख्या 12 के मद (i) के उप मद (ii) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्-
"(॥) नामनिर्देशिती का नाम";
(II) भाग ख में क्रम संख्या 6, के मद (झ) के उपमद (ii) में 'प्ररूप 2 के लिए युक्तिका' शीर्षक के अधीन
निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-
"नामनिर्देशिती का नाम"

- (ख) प्ररूप 3 में -
- (I) भाग क में क्रम संख्या 7 के मद (ii) में सारणी के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

1	2	3	4	5	6	7	8
"क्र	डीपीआईएन/	भागीदार का	कारपोरेट	पदनाम	अंशदा	अंशदान	लाभ साझा
.सं.	आयकर/पैन/	नाम	निकाय की दशा	(भागीदार/नाम	न का	का	करने का
	पासपोर्ट		में नामनिर्देशिती	निर्दिष्ट	प्ररूप	आर्थिक	प्रतिशत";
	संख्या			भागीदार)		मूल्य	
	सख्या			भागीदार)	×.	मूल्य	

	का नाम		
E			

- (॥) भाग ख में क्रम संख्या 21 -
- (क) मद (क) में सारणी के स्थान पर को निम्नलिखित सारणी रखी जाएगी, यथा:-

1		2	3	4		5	6	7	8
बदलाव क	न	डीपीआईएन/	भागीदार	कारपं	रिट	पदनाम	अंशदान	अंशदान	लाभ
प्रकार		आयकर/पैन/	का नाम	निका	य	(भागीदार/नामनि	का	का	साझा
		पासपोर्ट		की	दशा	र्देशिती भागीदार)	प्ररूप	आर्थिक	करने
		संख्या		में				मूल्य	का
	m			नाम	नेर्द				प्रतिश
				शिती	का				ਰ";
				नाम					
• विलोपन						• नामनिर्दिष्ट			
• बदलाव				ļ		भागीदार			
•कोई बदला	व					• भागीदार			
नहीं				ľ					

(ख) मद (ख) में सारणी के स्थान पर निम्नलिखित सारणी रखी जाएगी, अर्थात्:-

1	2	3	4	5	6	7
"बदलाव का	डीपीआईएन/	भागीदार	कारपोरेट निकाय	अंशदान का	अंशदान	लाभ
प्रकार	आयकर/पैन/	का नाम	की दशा में	प्ररूप	का	साझा
	पासपोर्ट		नामनिर्देशिती		आर्थिक	करने का
	संख्या				मूल्य	प्रतिशत";
<ul><li>नामनिर्दिष्ट भागीदार</li><li>भागीदार</li></ul>						

(ग)(क) प्ररूप 4 में, -

(क) क्रम संख्या 7 के मद (i) के उप मद (ii) के स्थान पर निम्नतिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

(ii) "नामनिर्देशिती का नाम .....";

(ख) क्रम संख्या 6 के मद (i) के उप मद (ii) में 'प्ररूप 4 के लिए युक्तिका' शीर्षक के अधीन निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(ii) नामनिर्देशिती का नाम ....."

(घ) प्ररूप 11 में क्रम संख्या 13 के मद (ii), में सारणी के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

1	2	3	4	5	6
"डीपीआईएन/	भागीदार	कारपोरेट निकाय	धारा संख्या	अपराध	अधिरोपित
आयकर/पैन/	/नामनिर्दिष्ट	की दशा में			शक्ति";
पासपोर्ट	भागीदार का नाम	नामनिर्देशिती का			
संख्या		नाम			

[फाइल सं. 17/31/2015-सीएल.V]

(अमरदीप सिंह भाटिया)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

पाद टिप्पणीः मूल नियमों को सा.का.नि. सं. 229 (अ) दिनांक 1 अप्रैल, 2009 द्वारा भारत के राजपत्र भाग ॥, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया और बाद में सा.का.नि. सं. 385(अ) और 386 (अ) दिनांक 4 जून, 2009, सा.का.नि. संख्या 6(अ) दिनांक 6 जनवरी, 2010, सा.का.नि. सं. 24 (अ) दिनांक 11 जनवरी, 2010, सा.का.नि. 914 (अ) दिनांक 15 नवबंर, 2010, सा.का.नि. सं. 506 (अ) दिनांक 5 जुलाई, 2011, सा.का.नि. सं. 680(अ) तक 14 सितंबर, 2011, सा.का.नि. सं. 796(अ) दिनांक 4 नवंबर, 2011, सा.का.नि. 430 (अ) दिनांक 5 जून, 2012, सा.का.नि. 485(अ) दिनांक 21 जून, 2012, सा.का.नि. 692 (अ) दिनांक 14 सितंबर, 2012, और सा.का.नि. 333(अ) दिनांक 29 अप्रैल, 2015, सा.का.नि. 785 (अ) दिनांक 15 अक्तूबर, 2015, सा.का.नि. 418(अ) दिनांक 13 अप्रैल, 2016 के द्वारा संशोधित किया गया।